भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 675
जिसका उत्तर बुधवार, 20 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है

**अधिकरणों का कार्यकरण**

**675. श्री जी. सेल्वम :**
**श्री एम. धनुष कुमार :**
**श्री रेबती त्रिपुरा :**
**श्रीमती संध्या राय :**

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आज की तिथि में कार्यरत अधिकरणों की संख्या कितनी है ;

(ख) विभिन्न अधिकरणों में आज की तिथि में लम्बित मामलों की अधिकरण-वार कुल संख्या कितनी है ;

(ग) देश में विभिन्न अधिकरणों के विलय के संबंध में हुई प्रगति की मौजूदा स्थिति क्या है ;

(घ) क्या सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से परामर्श किया है जिनके अन्तर्गत उक्त अधिकरण कार्यरत है और इस संबंध में उनकी क्या प्रतिक्रिया है ;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने प्रस्तावित हैं ; और

(च) क्या ये अधिकरण अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल रहे हैं और यदि नहीं, तो उनके कार्यकरण की समीक्षा करने/सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

**उत्तर**

**विधि और न्याय, संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री**
**(श्री रविशंकर प्रसाद)**

**(क), (ख) और (च) :** जानकारी एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

**(ग) से (ङ) :** संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श के पश्चात् वित्त अधिनियम, 2017 ( जो अधिकरणों और अन्य प्राधिकरणों के विलयन और अध्यक्ष, सदस्यों आदि की सेवा की शर्तों का उपबंध करता है और जो 26.05.2017 से प्रवृत्त हुआ) के अध्याय 6 के भाग 14 द्वारा कतिपय अधिनियम संशोधित किए गए थे और संबंधित विधियों के संशोधन द्वारा 15 अधिकरणों के विलयन करके उन्हें घटाकर 7 तक कर दिया गया है।

**********